

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

शुक्रवार 06 अक्टूबर, 2000/ आश्विन 14, 1922 शक

संख्या: 108

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को धाना अधिकारी सुलतानपुरी दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जयभगवान अग्रवाल को दिनांक 5.10.2000 को 1455 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम को धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण ^{गुआदिक} पुजा धर्मार्थ अस्पताल, कन्जावला रोड, गाँव पुट कला ^{के सामने} से नज़रबन्द किया गया।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 5.10.2000 को 1700 बजे रिहा कर दिया गया।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, 6th October, 2000/Ashvina, 14, 1922(Saka)

No.108

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the SHO, Police Station Sultanpuri, Delhi.

* It is to inform you that Shri Jai Bhagwan Aggarwal, MLA was detained by the Police under section 65 of the D.P. Act in front of village Pooth Kalan near charitable hospital on Khanjawa Road at 1455 Hrs on 5.10.2000 for dis-obeying the lawful directions of the police.

He was released at 1700 Hrs. from the same place and on the same day i.e. 5.10.2000."

S.K.SHARMA
SECRETARY